न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 50 / 2022 (उदयपुर डिक्री)

नवलसिंह पुत्र मोहनसिंह जी राजपूत,निवासीगढ़पुरा,तहसील कानोड़, जिला उदयपुर

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नी केसरसिंह राजपूत, निवासी गढ़पुरा, हाल सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती नन्दा कुंवर पुत्री मोहनसिंह पत्नी झामेश्वरसिंह राजपूत, निवासी गढ़पुरा, हाल बेदला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. सवसिंह पुत्र मोहनसिंह जी राजपूत,नि0 गढ़पुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर
4. गोविन्दसिंह पुत्र मोहनसिंह जी राजपूत,नि0 गढ़पुरा, तह0कानोड़, जिला उदयपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार,वल्लभनगर हाल तहसीलदार कानोड़, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0
अधिनियम1955विरूद्ध निर्णय व डिक्री
सहायककलक्टरफास्टट्रेकवल्लभनगर
दिनांक 26.06.2015प्र0 सं078 / 2014

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री राकेश गवारिया अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री सुरेश त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पो.सं. 3, 4
4– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक14–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा गढ़पुरामें आराजी नंबर 4 / 2, 11 / 2, 58 / 2, 70 / 2, 12 / 2, 20 / 6, 62 / 5, 5[illegible] / 6, 70 / 6, 71 / 2, 73 / 4, 74 / 4, 77 / 10, 77 / 7, 8 / 2 कुल किता 16 रकबा [illegible] 3 [illegible]वा भूमि स्थित है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात पूर्व में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता मोहनसिंह पिता मोड़सिंह राजपूत के खातेदारी में दर्ज थी, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है, जबकि वादीगण का भी उसमें 2/5 हिस्सा होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मोहनसिंह का वारिस बताते हुए भूमियां अपने नाम दर्ज करवा ली हैं, जबकि वादीगण भी मोहनसिंह की पुत्रियां होने से उनका नाम भी दर्ज होना चाहिए था। उक्त भूमियां प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने से विक्रय हस्तान्तरण एवं खुर्द–बुर्द करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजियात में वादीगण को 2/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 26–06–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात में वादीगण प्रत्येक को 1/5, 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12–07–2022 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री राकेश गवारिया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश त्रिवेदी उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उन्हें बिना सुने राजस्व कैम्प में निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसकी जानकारी हकरसी प्रार्थना पत्र के सम्मन प्राप्त होने पर दिनांक 22–06–2022 को हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2008 Page 1183, RBJ (11) 2004 Page 535, RBJ (12) 2005 Page 283प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया एवं न्यायिक नजीरों का अध्ययन किया। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी

में एवंप्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने गुणावगुण पर बहस करते हुए अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रकरण संख्या 78/2014 द्वारा जिन वादग्रस्त आराजियात की घोषणा चाही गयी है, उन्हीं आराजियात को लेकर पूर्व में माननीय अधिनस्थ न्यायालय में ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध विभाजन एवं निषेधाज्ञा का वाद संख्या 67/2014 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 26–06–2015 से पूर्व ही प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी थी, किन्तु इसके बाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा ही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 78/2014 में अपनी सहमति दे दी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 को हिस्सा दिये जाने की बात कही, जो प्रकरण संख्या 67/2014 के तथ्यों के विपरीत है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इसे नजर अंदाज कर वाद संख्या 78/2014 स्वीकार कर डिक्री जारी कर दी, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी, जबकि उसके द्वारा कई बार जानकारी चाही गयी, किन्तु उसे जानकारी नहीं मिली। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 67/2014 में प्रारम्भिक डिक्री की पालना के बाद सभी पक्षकारों के सहमत होने से मुसन्ना कायम कर दिनांक 10–07–2017 को अंतिम डिक्री जारी की गयी। उस समय भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 व 4 प्रकरण संख्या 78/2014 को लेकर पूरी तरह मौन रहे, जिससे भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध किये गये षड़यंत्र की पुष्टि होती है। अंतिम डिक्री के बाद राजस्व अभिलेखों में अंकन भी हो गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपने हिस्से व कब्जे की भूमि का हस्तान्तरण भी किया जा चुका है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वाद संख्या 78/2014 को अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट की अनुपस्थिति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय वडिक्री दिनांक 26–06–2015 निरस्त फरमायी जावे।अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरRRT 2023 (1) Page 247 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की सहमति के आधार पर राजस्व कैम्प में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 का वाद डिक्री किया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात मौरूसी होने एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की सहमति के आधार पर वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट 1 व 2 का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत है। क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य हैं कि विवादित आराजियात स्वर्गीय मोहनसिंह राजपूत की होकर अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 उसके पुत्र व पुत्री हैं। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम अनुसार पुत्रियों का भी पुत्र के समान मौरूसी सम्पत्ति में हक अधिकार निहित होता है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसके पुत्र नहीं होने से एवं केवल पुत्रियां होने से रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 स 4 उसकी भूमि हड़पना चाहता हैं, उसके उक्त कथन के आधार पर पुत्रियों को मौरूसी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा जो न्यायिक नजीर RRT 2023 (1) Page 247 प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं। फलस्परूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 67/2014 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री दिनांक 10–07–2017 अपास्त योग्य पाते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2015यथावत रखी जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 67/2014 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्रीतथा अंतिम डिक्री दिनांक 10–07–2017 अपास्त की जाती है। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।निर्णय आज दिनांक 14–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

नवलसिंह पुत्र मोहनसिंह राजूपत, निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर

बनाम**श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री मोहनसिंह राजपूत,निवासी गढ़पुरा, तहसील कानोड़, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**50 / 2022**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)**
.....**वल्लभनगर**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**26**.....माह.....**06**.....**2015**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**14**.....माह.....**08**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री ओंकारलाल डांगी**.....मिनजानिब अपीलान्ट व...**श्री राकेश गवारिया / सुरेश त्रिवेदी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26–06–2015 यथावत रखी जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 67 / 2014 में पारित निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री दिनांक 10–07–2017 अपास्त की जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**14**.....माह.....**08**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:34:15 IST
Reason: SelfAttested